

न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा

भगवान सहाय वगै० गिराज वगै०

तनकीयात

(1) यह है कि आया वाद में ग्राम दौसा कला स्थित भूमि ख० न० 3179 रकबा 0.63 है० 3180 रकबा 0.38 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 है० भूमि के वादीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। ~~ने से~~ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराने का हकदार है।

(वादीगण)

(2) यह है कि आया वाद में वादीगण की वाद ग्रस्त भूमि के मूल खातेदार पाँचू पुत्र तुलस्या था। पाँचू के निधन होने के उपरान्त उसके दोनो पुत्र रामनाथ व कन्हैया को विरासत में प्राप्त हुई है, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है।

(वादीगण)


(3) यह है कि आया वाद में वादग्रस्त भूमि ख० न० 3179/0.63, एवं 3180 रकबा 0.38 है० भूमि प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमि होने के कारण 1/2 हिस्से पर तुलस्या के जीवन काल से ही कब्जा काश्त होने से प्रतिवादीगण अपने हक में उदघोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती कराने के हकदार है।

(प्रतिवादीगण)

(4) यह है कि आया वाद में उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण की पैत्रिक भूमि होने एवं मौके पर प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराने के हकदार नहीं है।

(प्रतिवादीगण)

(5) अनुतोष ?


उप जिला कलक्टर
दौसा